



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com
csf.sardargarh@indiaseeds.com

निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम सरदारगढ़ फार्म क्षेत्र के खण्ड-4 के अंतर्गत आने वाली कैंटीन (खाद्य सामग्री की) को चलाने हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निविदा सह खुली बोली आमंत्रित करता है।

निविदादाता कार्यालय अवधि के दौरान निविदा फार्म दिनांक 10.03.2018 समय 10:00 बजे से 26.03.2018 को 13:00 बजे तक रु. 100/- (Non-refundable) फॉर्म शुल्क अदा करके प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इन्हें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भरी हुई निविदा दिनांक 26.03.2018 को समय 14:30 बजे तक स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन समय 15:00 बजे पहले खुली बोली एवं तदुपरांत प्राप्त निविदायें खोली जायेगी। शुद्धि पत्र केवल निगम की वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक (फार्म)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH

PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027

e-mail – directorcsfrg@gmail.com

भोजन, जलपान व चाय की कैंटीन के लिये नियम व शर्तें

1. ठेका एक साल की अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिए दिया जायेगा, जिसे संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर आपसी सहमति से एक (01) वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। ठेका अवधि समाप्त होने पर अनुबंध निरस्त समझा जायेगा तथा ठेकेदार को कैंटीन तुरन्त खाली करनी होगी।
2. पार्टी को निविदा के साथ पेन कार्ड व आधार कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति एवं स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो जमा करवानी होगी।
3. कैंटीन पर पार्टी का कोई कब्जा या अधिकार नहीं होगा तथा फार्म चाहे तो 15 दिन का नोटिस देकर पार्टी को कैंटीन से हटा सकता है, जिसके लिए दुकान धारक कोई दावा नहीं कर सकता है।
4. कैंटीन में रखे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्टी की होगी और फार्म किसी तरह की चोरी व अन्य नुकसान इत्यादि का जिम्मेदार नहीं होगा।
5. ठेकेदार कैंटीन में न तो नशीली वस्तु रखेगा तथा न ही बेचेगा और न ही नशीली वस्तु का सेवन करेगा।
6. दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा कि चाय, कॉफी एवं अन्य खाद्य सामग्री जो भी दुकान में रखी जायेगी, वह उत्तम दर्जे की हो। दुकानदार दुकान के अंदर एवं दुकान के आस-पास के स्थान को साफ-सुथरा रखेगा।
7. कैंटीन खुलने का समय सुबह 7:00 बजे से सांय 09:30 बजे तक होगा।
8. कैंटीन धारक को निविदा के साथ अमानत राशि का डी.डी. रुपये 5000/- (रु पाँच हजार मात्र) तथा बेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क स्वरूप रु. 100/- का डिमाण्ड ड्रॉप्ट(DD) जो National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh के नाम जारी, payable at Suratgarh हो लगाना आवश्यक है। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा उसे ठेका अवधि के संतोषप्रद समाप्ति उपरांत पार्टी के अनुरोध पर वापस किया जायेगा। अमानत राशि के बगैर प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि उनके लिखित अनुरोध पर एक निश्चित अवधि के अंदर चेक/RTGS द्वारा वापस की जायेगी। अधिकतम दर देने वाली पार्टी द्वारा किसी भी कारण से निविदा से नाम वापस लिये जाने की अवस्था में अमानत राशि वापस नहीं की जायेगी।
10. अन्य कार्य हेतु पूर्व में जमा करायी गयी अमानत राशि (यदि कोई हो तो) इस निविदा के लिये मान्य नहीं होगा।
11. कैंटीन धारक फार्म के किसी भी कर्मचारी से किसी तरह का झगड़ा या अमद्र व्यवहार नहीं करेगा और ऐसा पाये जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
12. कैंटीन धारक के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर उसका ठेका/अनुबंध तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है तथा कैंटीन में रखा सामान तुरन्त प्रभाव से उसी दिन हटाना होगा ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिदिन 100/- रुपये अतिरिक्त रखरखाव शुल्क देना होगा तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
13. कैंटीन धारक को फार्म की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी जायेगी।
14. ठेकेदार/कैंटीन धारक को रखरखाव /मरम्मत शुल्क एडवांस में लेखा विभाग के पास प्रत्येक माह की 7 तारीख को जमा करवाना होगा। वैद्य कारणों के बिना राशि समय पर जमा न करवाने की स्थिति में 24 प्रतिशत ब्याज चार्ज किया जायेगा।
15. निविदादाता को रखरखाव /मरम्मत शुल्क हेतु राशि वित्तीय निविदा में कोट करनी होगी। बिजली का खर्च (मासिक) fixed Rs..... (70 Unit तक) + उत्तरोत्तर रु...../- प्रति यूनिट (अतिरिक्त) अदा करनी होगी। मीटर की कीमत पार्टी को वहन करनी होगी।
16. कैंटीन धारक विद्युत संचालित उपक्रम जैसे हीटर, impersion rod/ ovan का इस्तेमाल नहीं करेगा।
17. खाद्य सामग्री का उपभोग करने वाले कर्मियों की न्यूनतम संख्या को कोई भी गारंटी फार्म प्रबंधन की नहीं होगी।
18. कैंटीन में रखी सामग्री के लिये उपभोगकर्ता से सूचित राशि लेने की संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
19. कैंटीन धारक चाय, कॉफी, नाश्ता, भोजन व अन्य के लिये वित्तीय बीड में अंकित दर पर खाद्य पदार्थ की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा इससे संबंधित संपूर्ण व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
20. जरूरत अनुसार आर्बिट्रिट ठेका बिना कारण बताये समाप्त करने का अधिकार निदेशक (फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा।
21. ठेका आवंटन उपरांत ठेकेदार को 100 रुपये के स्टॉप पेपर पर निगम के साथ करार करना होगा। स्टॉप पेपर का खर्च ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
22. एक वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर फार्म प्रबंधन दुकानदार के अनुरोध पर दरों में वृद्धि संबंधी अनुरोध पर विचार कर सकती है। इस संबंध में फार्म प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। दर बढ़ाना दुकानदार का अधिकार नहीं होगा।
23. उपरोक्त की अनुपालना न करने पर ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्द करते हुये प्रबंधन जमा अमानत राशि को जब्त कर सकता है।
24. नियम एवं शर्तों की स्वीकारोक्ति हेतु निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज (वित्तीय एवं तकनीकी) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अहस्ताक्षरित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
25. किसी प्रकार का विवाद आदि होने पर निदेशक महोदय का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

“नियम व शर्तें मान्य हैं”

निविदादाता के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com
csf.sardargarh@indiaseeds.com

वित्तिय प्रपत्र

विषय:- भोजन, जलपान व चाय की दुकान के कार्य हेतु निविदा।

तैयार किये जाने वाले जलपान व अन्य खाद्य सामग्री का विवरण एवं उसके लिये चार्ज की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न है :-

कैन्टीन में बनाई जाने वाली सामग्री का विवरण	मात्रा	ली जाने वाली निर्धारित दर
चाय की दर	प्रति कप	रु. 07.00
कॉफी की दर	प्रति कप	रु. 08.00
समोसा, कचौड़ी	प्रति नग	रु. 06.00
केवल नाश्ता	02 पराठा + सब्जी (आलू/गोभी/मूली/अन्य)/ 03 प्लेन पराठा + दही + अचार	रु. 20.00
दोपहर का खाना	रोटी (06)+ चावल + दाल फ्राई + सब्जी + सलाद, अचार/रायता	रु. 40.00
रात्रि का खाना	रोटी (06)+ चावल + दाल + सब्जी + सलाद, अचार/रायता	रु. 40.00
अतिरिक्त पराठा (भरा हुआ)	रु. 10/- प्रति नग	रु. 10.00
प्लेन पराठा	रु. 07/- प्रति नग	रु. 07.00
अतिरिक्त रोटी	रु. 02/- प्रति नग	रु. 02.00
स्पेशल भोजन (कम से कम सप्ताह में एक दिन)	पूरी/कचौड़ी/जीरा राइस/दाल फ्राई, पनीर की सब्जी, सलाद, एक मिठाई/स्वीट डीस	रु. 45.00
अन्य खाद्य सामग्री (पैकड)	प्रति	अधिकतम MRP राशि
कैन्टीन रखरखाव /मरम्मत शुल्क हेतु फार्म को दी जाने वाली राशि (रूपया में)		

नोट: बिजली का बिल fixed Rs. 375/- (50 यूनिट तक) + उत्तरोत्तर रु. 05.85 प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त।

ठेकेदार का नाम

पिता का नाम

पूरा पता

फोन/मोबाईल नं.

ठेकेदार के हस्ताक्षर.....

पता

